ग्राम पंचायत बिन्ना, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बिन्ना विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रन्को देवी	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्रीमति दर्शना देवी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अंग्रेज सिंह	1.4.2013 से 13.4.2015
2.	श्रीमति राधा देवी	14.4.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बिन्ना के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	8	प्राकंलन तैयार न कर अनियमित व्यय	18.54
2.	9	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना क्रय करना	5.63

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बिन्ना, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.7.2016 से 6.7.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 12/14 व 4/15 तथा 6/13, 12/14 व 2/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत बिन्ना, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : शून्य, दिनांक 6.7.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बिन्ना से अनुरोध किया गया। तदानुसार ग्राम पंचायत बिन्ना के पत्रांक संख्या : शून्य, दिनांक 19.7.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत बिन्ना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत बिन्ना के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	79988	674130	754118	551810	202308
2014—15	202308	1088454	1290762	846293	444469
2015—16	444469	184766	629235	246973	382262

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत बिन्ना के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	64057.50	583804	647861.50	544729	103132.50
2014—15	103132.50	208660	311792.50	257268	54524.50
2015—16	54524.50	113194	167718.50	60067.50	107651

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का अन्तशेष : ₹489913

31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0 सं0	निधि का नाम	हि0प्र0 स्टेट राज्य सहकारी बैंक स्थित टुण्डी (खाता सं0)	राशि
1.	वी0आर0जी0एफ0	19310103408	21467
2.	13वां वित्तायोग	19310105344	46582
3.	सामान्य (क)	19310101186	12519
4.	सामान्य (ख)	19310103181	369743
5.	आर0ए0 वार्ड	19310105343	39602
6.	मनरेगा	19310101193	शून्य
7.	आई0ए0 वार्ड	19310105342	शून्य
		जोड़	**₹489913**

अन्तशेष का विवरण :–

(क)	31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार शेष	489913
(ख)	31.3.2016 को बैंक में जमा राशि	489913

5. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना (सामान्य निधि) :–

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखा गया था, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः संलग्न परिशिष्ट (2) से स्पष्ट है कि दिनांक 25.2.2014 से 5.9. 2014 तक ₹10000 से अधिक हस्तगत रखकर छह माह तक अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया।

6. पंचायत राजस्व ₹0.23 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹23385 लाख की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	24320	10680	35000	29900	5100
2014–15	5100	10680	15780	5040	10740
2015–16	10740	10890	21630	630	21000

2. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	शून्य	2366	2366	2366	शून्य
2014–15	शून्य	2385	2385	2385	शून्य
2015–16	शून्य	2385	2385	शून्य	2385

3. शराब सैस :–

वर्ष 2013–14 में शराब सैस के रूप में ₹3422 प्राप्त हुए थे, लेकिन इसके बाद वर्ष 2014–15 व 2015–16 में उक्त सैस की राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7. अनुदान ₹1.08 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹107651 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹18.54 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1857920 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.63 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'4'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹563032 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

(क) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

(ख) रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार

रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. सामान्य निधि :–

(क) मस्ट्रोल का अधिक भुगतान ₹1280 :–

उपरोक्त निधि से वाउचर संख्या : 22, दिनांक 21.10.2014 द्वारा मस्ट्रोल संख्या : 25990 ₹10880 का भुगतान किया गया। मस्ट्रोल द्वारा कुल 64 मजदूरों को ₹170 प्रतिदिन की दर से (64x₹170=₹10880) भुगतान किया गया, जबकि यह भुगतान ₹150 प्रतिदिन की देय दर से किया जाना अपेक्षित था। अतः ₹1280 (64x₹20) के अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

(ख) स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे :–

वाउचर संख्या : 12, दिनांक 23.12.2015 के अन्तर्गत मैसर्ज गुप्ता फोटोस्टेट व इलैक्ट्रानिक से ₹4000 की दो चार्जेवल टार्च की खरीद का दर्शाया गया है, जिसे से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर व पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः किए गए व्यय को भौतिक सत्यापन के उपरान्त सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ग) वाउचर संख्या : 12, दिनांक 19.6.2013 को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे :–

रोकड़ वही पृष्ठः 150, वाउचर संख्या : 12, दिनांक 18.6.2013 के अन्तर्गत श्री चमन सिंह को पत्थरों की आपूर्ति हेतु ₹17500 का भुगतान किया गया, जिससे सम्बन्धित अभिलेख बिल/वाउचर व रसीद आदि अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं थे, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः किए गए व्यय से सम्बन्धित वाउचरों को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दर्शाए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) ₹4090 के अनुचित भुगतान बारे :–

वाउचर संख्या : 3, दिनांक 11.5.2013 के द्वारा मस्ट्रोल संख्या : 12887–BRGF.DPO के अन्तर्गत मजदूरों के भुगतान हेतु व्यय ₹4090 दर्शाया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित कार्य के लिए पंचायत को राशि दिनांक 25.3.2013 को प्राप्त हुई। मजदूरी का मस्ट्रोल दिनांक 4.9.2010 से 15.9.2010 तक BRGF निधि से सम्बन्धित है, जबकि भुगतान सामान्य निधि से 2 वर्ष, छः माह बाद दर्शाया गया, जोकि अनुचित व आपत्तिजनक है। अतः किए गए

अनुचित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

12. ₹1000 के गलत भुगतान बारे :–

वाउचर संख्या : 4, दिनांक 22.5.2013 के अन्तर्गत BRGF निधि से मैसर्ज सुदन जरियाल को ₹1000 का भुगतान सीमेंट ढुलाई का किराया चुवाड़ी से पातका तक हेतु किया। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि चुवाड़ी से सीमेंट की कोई भी खरीद नहीं की गई है। अतः उपरोक्त किया गया भुगतान अनुचित व आपत्तिजनक है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1000 की वसूली करके सम्बन्धित पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13. रोकड़ वही के रख–रखाव बारे :–

(क) सामान्य निधि व वी0आर0जी0एफ0 की रोकड़ वही को प्रधान द्वारा सत्यापित न किया जाना:–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिन्ना की सामान्य निधि व वी0आर0जी0एफ0 की रोकड़ वही व बिल वाउचर दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 तक प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे, जोकि अनियमित है। अतः रोकड़ वहियों व सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) मनरेगा रोकड़ वही का लेखांकन न करना :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2014 के बाद से मनरेगा की रोकड़ वही का लेखांकन नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः मनरेगा की रोकड़ वही पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में पैरा 10(ख) में दर्शित नियमानुसार रोकड़ वही का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(पंच)15(7)3/2016, खण्ड–1–5511–5514 दिनांकः 19.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, तहसील भटियात, जिला चम्बा हि0 प्र0
4. सचिव, ग्राम पंचायत बिन्ना, विकास खण्ड भटियात, तहसील भटियात, जिला चम्बा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''2''

ग्राम पंचायत बिन्ना विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (पैरा संख्या : 5 में सन्दर्भित)

निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि

सामान्य निधि

दिनांक	विवरण	प्राप्ति/व्यय	शेष हस्तगत राशि
25.2.14	गत शेष	186	186
25.2.14	गृहकर की वसूली	10000	10186
10.3.14	प्रमाण पत्र आदि	10	10196
29.3.14	प्रमाण पत्र आदि	50	10246
30.3.14	गृहकर की वसूली	5900	16146
31.3.14	खर्च यात्रा भत्ता बिल	4449	
	जलपान खर्च	1697	
		6146	10000
31.3.14	दान	31	10031
28.7.14	दान	21	10052
20.8.14	दान	20	10072
5.9.14	दान	20	10092
5.9.14	बैंक में जमा	10000	92
		कुल	**₹1857920**

परिशिष्ट ''3''

ग्राम पंचायत बिन्ना विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (पैरा संख्या : 8 में दर्शित)

निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना व्यय करना

क्र0 सं0	निधि	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1.	(वी0आर0जी0एफ0)	(i) C/o पक्का रास्ता खज्जा लाहड से G.M.S. पंजला तक	110000
		(ii) C/o पंचायत घर बिन्ना	812920
2.	मनरेगा	(i) भू–संरक्षण कार्य भरूं (Bharoon)	200000
		(ii) वावड़ी का निर्माण धलेडमली	80000
3.	सामान्य निधि	(1) छवाला नाला पर पुल निर्माण (M.P. Fund)	200000
		(2) श्री देव राज के घर की Protection wall (पांजला)	80000
		(3) पंचायत घर बिन्ना की दूसरी मंजिल का निर्माण	375000

परिशिष्ट ''4''

ग्राम पंचायत बिन्ना विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (पैरा संख्या : 9 में संदर्भित)

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

निधि का नाम :– B.R.G.F

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	2, 22.5.13	श्री परस राम को बजरी व रेत की सप्लाई का भुगतान	9000
2.	6, 30.5.13	मै0 सुपर स्टील व रबड इण्डस्ट्रीज जसूर से बिल संख्याः 912, दिनांक 30.5.2013 के अन्तर्गत खरीदा गया फर्नीचर	99997
3.	14, 30.10.13	मै0 श्री गणेश इण्टरप्राईजिज पठानकोट से बिल संख्याः 2075, दिनांक 30.10.2013 के अन्तर्गत खरीदा गया लैपटॉप	49950
4.	20, 11.12.13	श्री रमेश चन्द को बजरी व रेत की सप्लाई का भुगतान	10500
5.	27, 10.1.14	मै0 पठानिया इलैक्ट्रानिक्स से बिल नंबरः 47, दिनांक 10.1.2014 के अन्तर्गत खरीदा गया बिजली का सामान	18370
6.	2, 21.4.14	मै विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस टुण्डी से खरीदे खिड़की, दरवाजे व वैण्टीलेटर की चौगाठ आदि	25150

निधि का नाम :– मनरेगा

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	4, 3.6.13	श्री बिना राम को बजरी व रेत की आपूर्ति का भुगतान	5544
2.	3, 3.6.13	श्री बिना राम को पत्थर आपूर्ति का भुगतान	13420

सामान्य निधि

क्र0 सं0	वा0 सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1.	35, 7.2.14	मै0 प्रकाश सोलरज जालन्धर को बिल संख्याः 051, दिनांक 9.2.2014 के अन्तर्गत खरीदी गई 6 लाईटें	224933
2.	5, 23.3.14	मै0 देश राज ठाकुर से बिल संख्याः 1160, दिनांक 15.3.2014 के अन्तर्गत खरीद गया रेत	8400

3.	33, 14.11.14	मै0 विवेक गुप्ता एण्ड ब्रदर्ज सप्लाई किया गया सरिया आदि	21636
4.	34–35, 14.11.14	मै0 जरियाल गुडज कैरियरज द्वारा सप्लाई किया गया रेत बजरी का भुगतान	20100
5.	38, 11.12.14	मै0 आर0एस0 टेडर्ज द्वारा आपूर्ति किए गए दरवाजे व अलमारी आदि	38604
6.	14, 3.12.15	मै0 गर्ग इण्टरप्राईजिज गगल से खरीदी गई स्पोट्र्स किट	17428
		कुल	**₹563032**